



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052020-219318
CG-DL-E-09052020-219318

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216]
No. 216]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 9, 2020/वैशाख 19, 1942
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 9, 2020/VAISAKHA 19, 1942

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2020

सा.का.नि. 283(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसान विकास पत्र योजना, 2019 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम किसान विकास पत्र (संशोधन) योजना, 2020 है।

(2) यह 1 अप्रैल, 2020 को प्रवृत्त होगी।

2. किसान विकास पत्र योजना, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त योजना कहा गया है) के पैरा 5 के उप-पैरा (1) में, निम्नलिखित उप-अनुच्छेद रखा जा सकता है, अर्थात्:-

(1) 12 दिसम्बर, 2019 से 31 मार्च 2020 (दोनों दिन शामिल करके) के बीच खोले जाने वाले किसी खाते की परिपक्वता अवधि नौ वर्ष पांच महीने की होगी। खाते में किया गया जमा परिपक्वता पर दुगुना होगा। फार्म 2 में दिया गया आवेदन लेखा अधिकारी को प्रस्तुत करने पर खाता धारक को परिपक्वता राशि का पुनर्भुगतान किया जा सकता है।

(1क) 01 अप्रैल, 2020 को अथवा उसके पश्चात खोले गए खाते की परिपक्वता अवधि दस वर्ष चार महीने की होगी। खाते में किया गया जमा परिपक्वता पर दुगुना होगा।

3. उक्त योजना के पैरा 6, उप-पैरा (3) में:-

(क) शब्द, कोष्ठक तथा आंकड़े (1000 रु. से अधिसूचना तिथि के पश्चात खोले गए खाते की परिपक्वता-पूर्व बंद करने के मूल्य को दर्शाने वाली सारणी) का लोप किया जाएगा;

(ख) इस सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“सारणी-1

[12 दिसम्बर, 2019 से 31 मार्च, 2020 (दोनों दिन शामिल करके) के बीच 1000 रु. से खोले गए खाते की परिपक्वता-पूर्व बंद करने के मूल्य दर्शाने वाली सारणी]

प्रमाण पत्र की तारीख से नकदीकरण की तिथि तक की अवधि	ब्याज सहित भुगतान की जाने वाली राशि (रु.)
(1)	(2)
ढाई वर्ष परंतु तीन वर्ष से कम	1173
तीसरा वर्ष परंतु साढ़े तीन वर्ष से कम	1211
साढ़े तीन वर्ष परंतु चार वर्ष से कम	1251
चार वर्ष परंतु साढ़े चार वर्ष से कम	1291
साढ़े चार वर्ष परंतु पांच वर्ष से कम	1333
पांच वर्ष परंतु साढ़े पांच वर्ष से कम	1377
साढ़े पांच वर्ष परंतु छः वर्ष से कम	1421
छः वर्ष परंतु साढ़े छः वर्ष से कम	1467
साढ़े छः वर्ष परंतु सात वर्ष से कम	1515
सात वर्ष परंतु साढ़े सात वर्ष से कम	1564
साढ़े सात वर्ष परंतु आठ वर्ष से कम	1615
आठ वर्ष परंतु साढ़े आठ वर्ष से कम	1667
साढ़े आठ वर्ष परंतु नौ वर्ष से कम	1722
नौ वर्ष परंतु प्रमाण पत्र की परिपक्वता से पहले	1778
प्रमाण पत्र की परिपक्वता पर	2000

सारणी-2

[01 अप्रैल, 2020 को अथवा उसके पश्चात 1000 रु. से खोले गए खाते की परिपक्वता-पूर्व बंद करने के मूल्य दर्शाने वाली सारणी]

खाते की तारीख से इसकी पूर्व-परिपक्वता	ब्याज सहित भुगतान की जाने वाली राशि (रु.)
(1)	(2)
ढाई वर्ष परंतु तीन वर्ष से कम	1154
तीसरा वर्ष परंतु साढ़े तीन वर्ष से कम	1188
साढ़े तीन वर्ष परंतु चार वर्ष से कम	1222
चार वर्ष परंतु साढ़े चार वर्ष से कम	1258
साढ़े चार वर्ष परंतु पांच वर्ष से कम	1294
पांच वर्ष परंतु साढ़े पांच वर्ष से कम	1332
साढ़े पांच वर्ष परंतु छः वर्ष से कम	1371
छः वर्ष परंतु साढ़े छः वर्ष से कम	1411
साढ़े छः वर्ष परंतु सात वर्ष से कम	1452
सात वर्ष परंतु साढ़े सात वर्ष से कम	1494
साढ़े सात वर्ष परंतु आठ वर्ष से कम	1537
आठ वर्ष परंतु साढ़े आठ वर्ष से कम	1582
साढ़े आठ वर्ष परंतु नौ वर्ष से कम	1628
नौ वर्ष परंतु साढ़े नौ वर्ष से कम	1675
साढ़े नौ वर्ष परंतु दस वर्ष से कम	1724
दस वर्ष परंतु प्रमाण-पत्र की परिपक्वता से पहले	1774
प्रमाण-पत्र की परिपक्वता पर	2000”

[फा.सं. 1/4/2019-एनएस]

रजत कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल योजना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 920(अ) तारीख 12 दिसम्बर, 2019 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2020

G.S.R. 283(E).—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme to amend the Kisan Vikas Patra Scheme, 2019, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the Kisan Vikas Patra (Amendment) Scheme, 2020.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2020.
2. In the Kisan Vikas Patra Scheme, 2019 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 5, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(1) The maturity period of an account opened between 12th December, 2019 to 31st March, 2020 (both days inclusive) shall be nine years and five months. Deposit made in the account shall double on maturity. Amount of maturity may be repaid to the account holder on an application in Form 2 submitted to the Accounts office.

(1A) Maturity period of an account opened on or after the 1st day of April, 2020 shall be ten years and four months. Deposit made in the account shall double on maturity.”
3. In the said Scheme, in paragraph 6, in sub-paragraph (3),-
 - (a) the words, brackets and figures “(Table showing premature closure value of account opened on or after date of notification with 1000 rupees)” shall be omitted;
 - (b) for the TABLE, the following TABLES shall be substituted, namely:-

“TABLE-1

[Table showing premature closure value of account opened between 12th December 2019 to 31st March 2020 (both days inclusive) with 1000 rupees]

Period from the date of the certificate to the date of its encashment	Amount payable inclusive of interest (Rupees)
(1)	(2)
Two and half years but less than three years	1173
Three years but less than three and half years	1211
Three and half years but less than four years	1251
Four years but less than four and half years	1291
Four and half years but less than five years	1333
Five years but less than five and half years	1377
Five and half years but less than six years	1421
Six years but less than six and half years	1467
Six and half years but less than seven years	1515
Seven years but less than seven and half years	1564
Seven and half years but less than eight years	1615
Eight years but less than eight and half years	1667
Eight and half years but less than nine years	1722
Nine years but before Maturity of Certificate	1778
On maturity of certificate	2000

TABLE-2

[Table showing premature closure value of account opened on or after the 1st day of April, 2020 with 1000 rupees]

Period from the date of the account to the date of its pre-mature closure	Amount payable inclusive of interest (Rupees)
(1)	(2)
Two and half years but less than three years	1154
Three years but less than three and half years	1188
Three and half years but less than four years	1222
Four years but less than four and half years	1258
Four and half years but less than five years	1294
Five years but less than five and half years	1332
Five and half years but less than six years	1371
Six years but less than six and half years	1411
Six and half years but less than seven years	1452
Seven years but less than seven and half years	1494
Seven and half years but less than eight years	1537
Eight years but less than eight and half years	1582
Eight and half years but less than nine years	1628
Nine years but less than nine and half years	1675
Nine and half years but less than ten years	1724
Ten years but before Maturity of Certificate	1774
On maturity of certificate	2000”.

[F. No. 1/4/2019-NS]

RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 920(E), dated the 12th December, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2020

सा.का.नि. 284(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम) योजना, 2019 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:-

1. इस योजना का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम) (संशोधन) योजना, 2020 है।
2. यह 1 अप्रैल, 2020 को प्रवृत्त होगी।
2. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम) योजना, 2019 के पैरा 5 में-
 - (क) उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैराओं को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) 12 दिसम्बर, 2019 से 31 मार्च, 2020 (दोनों दिन शामिल करके) के बीच एक हजार रुपये से खोले गए खाते का परिपक्वता मूल्य एक हजार चार सौ बासठ रुपये और चौवन पैसा होगा और पैरा 4 के उप-पैरा (1) के अनुसार अन्य किसी राशि से की गई जमाओं के समानुपात होगा। परिपक्वता राशि के परिकलन हेतु, रुपये के किसी भी अंश को निकटतम रूपये में पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजनार्थ पचास पैसे अथवा इससे अधिक किसी भी राशि को एक रुपया माना जाएगा तथा पचास पैसे से कम कोई भी राशि को नजर अंदाज किया जाएगा।

(2क) 01 अप्रैल, 2020 को अथवा उसके पश्चात, एक हजार रुपये से खोले गए खाते का परिपक्वता मूल्य एक हजार तीन सौ नवासी रुपये और उन्चास पैसा होगा और पैरा 4 के उप-पैरा (1) के अनुसार अन्य किसी राशि से की गई जमाओं के समानुपात होगा। परिपक्वता राशि के परिकलन हेतु, रुपये के किसी भी अंश को निकटतम रूपये में पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजनार्थ पचास पैसे अथवा इससे अधिक किसी भी राशि को एक रुपया माना जाएगा तथा पचास पैसे से कम कोई भी राशि को नजरअंदाज किया जाएगा।”

(ख) उप-पैरा (3) में, “सारणी” के स्थान पर, निम्नलिखित सारणियों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“सारणी-1

[12 दिसम्बर, 2019 से 31 मार्च, 2020 (दोनों दिनों को शामिल करके) के बीच खरीदे गए प्रमाणपत्रों के लिए]

वर्ष जिसमें एकत्रित ब्याज	1000 मूल्यवर्ग के प्रमाणपत्र पर एकत्रित ब्याज राशि (रुपये)
पहला वर्ष	79.00
दूसरा वर्ष	85.24
तीसरा वर्ष	91.98
चौथा वर्ष	99.24
पांचवां वर्ष	107.08

सारणी-2

[01 अप्रैल, 2020 को अथवा उसके पश्चात, खरीदे गए प्रमाणपत्रों के लिए]

वर्ष जिसमें एकत्रित ब्याज	1000 मूल्यवर्ग के प्रमाणपत्र पर एकत्रित ब्याज राशि (रुपये)
पहला वर्ष	68.00
दूसरा वर्ष	72.62
तीसरा वर्ष	77.56
चौथा वर्ष	82.84
पांचवां वर्ष	88.47

टिप्पण: अन्य किसी मूल्यवर्ग के प्रमाण-पत्र पर एकत्रित ब्याज की राशि उपर्युक्त सारणियों में समानुपात होगी।

3. उक्त योजना के पैरा 7 में, उप-पैरा (4) में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“सारणी-1

[12 दिसम्बर, 2019 से 31 मार्च, 2020 (दोनों दिनों को शामिल करके) 1000 रुपये से खोले गए खाते को परिपक्वता-पूर्व बंद करने के मूल्य को दर्शाने वाली सारणी]

खाते की तारीख से इसके परिपक्वता पूर्व बंद होने की तारीख की अवधि	ब्याज सहित देय राशि (रुपये)
1	2
तीन वर्ष या उससे अधिक, परंतु तीन वर्ष और छह माह से कम	1221.61
तीन वर्ष और छह माह या उससे अधिक, परंतु चार वर्ष से कम	1263.05
चार वर्ष अथवा उससे अधिक, परंतु चार वर्ष और छह माह से कम	1305.90
चार वर्ष और छह माह या उससे अधिक, परंतु पांच वर्ष से कम	1350.20

सारणी-2

[01 अप्रैल, 2020 को अथवा उसके पश्चात 1000 रुपये से खोले गए खाते को परिपक्वता पूर्व बंद करने के मूल्य को दर्शाने वाली सारणी]

खाते की तारीख से इसके परिपक्वता पूर्व बंद होने की तारीख की अवधि	ब्याज सहित देय राशि (रुपये)
1	2
तीन वर्ष या उससे अधिक, परंतु तीन वर्ष और छह माह से कम	1184.29
तीन वर्ष और छह माह या उससे अधिक, परंतु चार वर्ष से कम	1218.15
चार वर्ष अथवा उससे अधिक, परंतु चार वर्ष और छह माह से कम	1252.98
चार वर्ष और छह माह या उससे अधिक, परंतु पांच वर्ष से कम	1288.80”

[फा.सं. 1/4/2019-एनएस]

रजत कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल योजना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i), सा.का.नि. 919(अ) तारीख 12 दिसम्बर, 2019 की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2020

G.S.R. 284(E).—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme to amend the National Savings Certificates (VIII Issue) Scheme, 2019, namely:-

- (1) This Scheme may be called the National Savings Certificates (VIII Issue) (Amendment) Scheme, 2020.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2020.

2. In the National Savings Certificates (VIII Issue) Scheme, 2019, in paragraph 5,-

(a) for sub-paragraph (2), the following sub-paragraphs shall be substituted, namely:-

“(2) The maturity value of an account opened between 12th December, 2019 to 31st March, 2020 (both days inclusive) with one thousand rupees shall be one thousand four hundred sixty two rupees and fifty four paisa and proportionate for deposits made with any other sum as per sub-paragraph (1) of paragraph 4. In calculation of maturity value, any amount in fraction of a rupee shall be rounded off to the nearest rupee and for this purpose, any amount of fifty paisa or more shall be treated as one rupee and any amount less than fifty paisa shall be ignored.”

(2A) The maturity value of an account opened on or after the 1st day of April, 2020 with one thousand rupees shall be one thousand three hundred eighty nine rupees and forty nine paisa and proportionate for deposits made with any other sum as per sub-paragraph (1) of paragraph 4. In calculation of maturity value, any amount in fraction of a rupee shall be rounded off to the nearest rupee and for this purpose, any amount of fifty paisa or more shall be treated as one rupee and any amount less than fifty paisa shall be ignored.”;

(b) in sub-paragraph (3), for the “TABLE”, the following TABLES shall be substituted, namely:-

“TABLE-1**[For the certificates purchased between 12th December, 2019 to 31st March, 2020 (both days inclusive)]**

The year for which interest accrues	Amount of interest (rupees) accruing on certificate of Rs.1000 denomination
First Year	79.00
Second Year	85.24
Third Year	91.98
Fourth Year	99.24
Fifth Year	107.08

TABLE-2**[For the certificates purchased on or after the 1st day of April, 2020]**

The year for which interest accrues	Amount of interest (rupees) accruing on certificate of Rs.1000 denomination
First Year	68.00
Second Year	72.62
Third Year	77.56
Fourth Year	82.84
Fifth Year	88.47

Note: The amount of interest accruing on a certificate of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the Tables above.”

3. In paragraph 7 of the said Scheme, in sub-paragraph(4), for the TABLE, the following TABLES shall be substituted, namely:-

“TABLE-1

[Table showing premature closure value of account opened between 12th December, 2019 to 31st March, 2020 (both days inclusive) with 1000 rupees]

Period from the date of the account to the date of its pre-mature closure	Amount payable inclusive of interest (Rupees)
(1)	(2)
Three years or more, but less than three years and six months	1221.61
Three years and six months or more, but less than four years	1263.05
Four years or more, but less than four years and six months	1305.90
Four years and six months or more, but less than five years	1350.20

TABLE-2

[Table showing premature closure value of account opened on or after the 1st day of April, 2020 with 1000 rupees]

Period from the date of the account to the date of its pre-mature closure	Amount payable inclusive of interest (Rupees)
(1)	(2)
Three years or more, but less than three years and six months	1184.29
Three years and six months or more, but less than four years	1218.15
Four years or more, but less than four years and six months	1252.98
Four years and six months or more, but less than five years	1288.80”.

[F. No. 1/4/2019-NS]

RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Note: The Principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 919(E), dated the 12th December, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2020

सा.का.नि. 285(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा योजना, 2019 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:-

1. इस योजना का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा (संशोधन) योजना, 2020 है।
2. यह 1 अप्रैल, 2020 को प्रवृत्त होगी।
2. राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा योजना, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त योजना कहा गया है) के पैरा 9 में उप-पैरा (1), सारणी के लिए निम्नलिखित सारणियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“सारणी-1.1

वह अवधि जिसके दौरान खाता खोला गया	100 रुपये के मूल्य-वर्ग की राशि (रुपये) का खाते में पुनर्भुगतान
12.12.2019 से 31.03.2020 तक	7231.38
1 अप्रैल, 2020 पर या उसके पश्चात	6969.67
अन्य किसी मूल्यवर्ग के खातों पर ब्याज सहित प्रतिदेय राशि उपर्युक्त सारणी में विनिर्दिष्ट राशि के समानुपात होगी।”	

(3) उक्त योजना के पैरा 10 में, उप-पैरा (2), में खंड (क) में-

(i) सारणी 1 में, शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“[12 दिसम्बर, 2019 से 31 मार्च 2020 (दोनों दिन शामिल करके) के दौरान खोले गए और पैरा 10 के अधीन उप-पैरा (1) के परिपक्वता अवधि अथवा बढ़ाई गई परिपक्वता अवधि के बाद भी मासिक निक्षेप के साथ जारी खातों पर प्रतिदेय ब्याज सहित राशि का भुगतान होगा]”

(ii) “सारणी-1” के पश्चात, निम्नलिखित सारणी को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“सारणी-1.1

“[1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात खोले गए और पैरा 10 के उप-पैरा (1) के अधीन परिपक्वता अवधि अथवा बढ़ाई गई परिपक्वता अवधि के बाद भी मासिक निक्षेपों के साथ जारी खातों पर प्रतिदेय ब्याज सहित राशि का भुगतान होगा]”

पूर्ण वर्षों की संख्या जिनमें खाता जारी रहा	100 रु. के मूल्य वर्ग के राशि (रुपये) के खाते में पुनर्भुगतान
एक वर्ष	8620.98
दो वर्ष	10370.17
तीन वर्ष	12223.03
चार वर्ष	14185.73
पांच वर्ष	16264.76

अन्य किसी मूल्यवर्ग के खातों पर ब्याज सहित प्रतिदेय राशि उपर्युक्त सारणी में विनिर्दिष्ट राशि के समानुपात होगी।”

4. उक्त योजना में, पैरा-11 के, उप-पैरा (2) में-

(क) “सारणी 2” में, शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“[12 दिसम्बर, 2019 से 31 मार्च 2020 (दोनों दिन शामिल करके) के दौरान खोले गए और पैरा 11 के उप-पैरा (1) के तहत परिपक्वता अवधि अथवा बढ़ाई गई परिपक्वता अवधि के बाद भी बिना किसी नए मासिक निक्षेपों के साथ जारी खातों पर प्रतिदेय ब्याज सहित राशि का भुगतान होगा]”

(ख) “सारणी-2” के पश्चात, निम्नलिखित सारणी को अंतःस्थापित जाएगा, अर्थात्:-

“सारणी-2.1

“[1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात खोले गए और पैरा 11 के उप-पैरा (1) के अधीन परिपक्वता अवधि अथवा बढ़ाई गई परिपक्वता अवधि के बाद भी बिना किसी नए मासिक निक्षेपों के साथ जारी खातों पर प्रतिदेय ब्याज सहित राशि का भुगतान होगा]”

पूर्ण वर्षों की संख्या जिनमें खाता जारी रहा	100 रु. मूल्य वर्ग राशि (रुपये) के रूप में खाते पर अदायगी
एक वर्ष	7382.79
दो वर्ष	7820.40
तीन वर्ष	8283.94
चार वर्ष	8774.96
पांच वर्ष	9295.09

अन्य किसी मूल्यवर्ग के खातों पर ब्याज सहित प्रतिदेय राशि उपर्युक्त सारणी में विनिर्दिष्ट राशि के समानुपात होगी।”

5. उक्त योजना में, पैरा-12 के, उप-पैरा (1) में-

(क) “सारणी-2”, में शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“[12 दिसम्बर, 2019 से 31 मार्च 2020 (दोनों दिन शामिल करके) के दौरान खोले गए खातों पर और खाता बंद किए जाने तक इस योजना के अधीन पांच वर्षों में निक्षेपक की मृत्यु होने पर विधिक वारिस अथवा नामिति को प्रतिदेय राशि]”

(ख) "सारणी-2", के पश्चात् निम्नलिखित सारणी को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“सारणी-2.1

[01 अप्रैल, 2020 को अथवा उसके पश्चात् खोले गए खातों पर और खाता बंद किए जाने तक इस योजना के अधीन पांच वर्षों में निक्षेपक की मृत्यु होने पर विधिक वारिस अथवा नामिति को प्रतिदेय राशि]”

किए गए निक्षेपों की संख्या	100 रुपए के अभिधान के लिए राशि(रु.)	किए गए निक्षेपों की संख्या	100 रुपए के अभिधान के लिए राशि(रु.)
1 से 11	किया गया निक्षेप	36	3939.09
12	1238.19	37	4058.52
13	1344.63	38	4178.53
14	1451.57	39	4299.11
15	1559.04	40	4420.27
16	1667.02	41	4542.01
17	1775.52	42	4664.34
18	1884.54	43	4787.26
19	1994.09	44	4910.76
20	2104.16	45	5034.87
21	2214.76	46	5159.57
22	2325.90	47	5284.87
23	2437.56	48	5410.77
24	2549.77	49	5537.27
25	2662.52	50	5664.39
26	2775.80	51	5792.12
27	2889.64	52	5920.46
28	3004.02	53	6049.42
29	3118.95	54	6179.00
30	3234.43	55	6309.20
31	3350.47	56	6440.03
32	3467.07	57	6571.49
33	3584.23	58	6703.58
34	3701.95	59	6836.31
35	3820.24	60	6969.67
अन्य किसी मूल्यवर्ग के खातों पर व्याज सहित प्रतिदेय राशि उपर्युक्त सारणी में विनिर्दिष्ट राशि के समानुपात होगी।”			

[फा. सं. 1/04/2019-एनएस]

रजत कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल योजना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 918 (अ), तारीख 12 दिसम्बर, 2019 के अधीन प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2020

G.S.R. 285(E).—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme to amend the National Savings Recurring Deposit Scheme, 2019, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the National Savings Recurring Deposit (Amendment) Scheme, 2020.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2020.
2. In the National Savings Recurring Deposit Scheme, 2019 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 9, sub-paragraph (1), for the TABLE, the following TABLE shall be substituted, namely:-

“TABLE 1.1

Period during which account is opened	Amount (Rupees) repayable on an account of 100 rupees denomination
From 12.12.2019 to 31.03.2020	7231.38
On or after 01.04.2020	6969.67
Amount repayable inclusive of interest on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the table”.	

3. In the said Scheme, in paragraph 10, in sub-paragraph (2), in clause (a),-
 - (i) in TABLE-1, for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-
“[Amount inclusive of interest repayable on the accounts opened between 12th December, 2019 to 31st March, 2020 (both days inclusive) and continued with monthly deposits beyond the maturity period or maturity period as extended under sub-paragraph (1) of paragraph 10]”;
 - (ii) after the “TABLE-1”, the following TABLE shall be inserted, namely:-

“TABLE-1.1

[Amount inclusive of interest repayable on the accounts opened on or after the 1st day of April, 2020 and continued with monthly deposits beyond the maturity period or maturity period as extended under sub-paragraph (1) of paragraph 10]

Number of completed years for which the account continued	Amount (Rupees) repayable on an account of 100 rupees denomination
One year	8620.98
Two years	10370.17
Three years	12223.03
Four years	14185.73
Five years	16264.76
Amount repayable inclusive of interest on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the table”.	

4. In the said Scheme, in paragraph 11, in sub-paragraph (2),-
 - (a) in “TABLE-2”, for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-
“[Amount inclusive of interest repayable on an account opened between 12th December, 2019 to 31st March, 2020 (both days inclusive) and continued without any fresh monthly deposit beyond the maturity period or maturity period as extended under sub-paragraph (1) of paragraph 11]”;
 - (b) after the “TABLE-2”, the following TABLE shall be inserted, namely:-

“TABLE-2.1

[Amount inclusive of interest repayable on the accounts opened on or after the 1st day of April, 2020 and continued without any fresh monthly deposits beyond the maturity period or maturity period as extended under sub-paragraph (1) of paragraph 11]

Number of completed years for which the account continued	Amount (Rupees) repayable on an account of 100 rupees denomination
One year	7382.79
Two years	7820.40
Three years	8283.94
Four years	8774.96
Five years	9295.09

Amount repayable inclusive of interest on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the table”.

5. In the said Scheme, in paragraph 12, in sub-paragraph (1),-

(a) in “TABLE-2”, for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

“[Amount payable to legal heir or nominees on the death of the depositor in five years under this Scheme on the accounts opened between 12th December, 2019 to 31st March, 2020 (both days inclusive)and up to closure of the account]”;

(b) after the “TABLE-2”, the following TABLE shall be inserted, namely:-

“TABLE-2.1

[Amount payable to legal heir or nominees on the death of the depositor in five years under this Scheme on the accounts opened on or after the 1st day of April, 2020 and up to closure of the account]

Number of deposits made	Amount (Rupee) for denomination of 100 rupees	No. of deposits made	Amount (Rupees) for denomination of 100 rupees
1 to 11	Deposits made	36	3939.09
12	1238.19	37	4058.52
13	1344.63	38	4178.53
14	1451.57	39	4299.11
15	1559.04	40	4420.27
16	1667.02	41	4542.01
17	1775.52	42	4664.34
18	1884.54	43	4787.26
19	1994.09	44	4910.76
20	2104.16	45	5034.87
21	2214.76	46	5159.57
22	2325.90	47	5284.87
23	2437.56	48	5410.77
24	2549.77	49	5537.27
25	2662.52	50	5664.39
26	2775.80	51	5792.12
27	2889.64	52	5920.46
28	3004.02	53	6049.42
29	3118.95	54	6179.00
30	3234.43	55	6309.20
31	3350.47	56	6440.03
32	3467.07	57	6571.49
33	3584.23	58	6703.58
34	3701.95	59	6836.31
35	3820.24	60	6969.67

Amount repayable inclusive of interest on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the table”.

[F. No. 1/04/2019-NS]

RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G. S. R. 918(E), dated the 12th December, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2020

सा.का.नि. 286 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की खंड 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) योजना, 2019 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:-

1.(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) (संशोधन) योजना, 2020 है।

(2) यह 1 अप्रैल, 2020 को प्रवृत्त होगी।

2. राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) योजना, 2019 के पैरा 5 में उप-पैरा (1) के अधीन निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) तारीख 12 दिसम्बर, 2019 से 31 मार्च, 2020 (दोनों दिन शामिल करके) के बीच इस योजना के अधीन निक्षेप राशि पर वार्षिक रूप से 7.6 प्रतिशत के दर से ब्याज दिया जाएगा।

(1क) तारीख 01 अप्रैल, 2020 को अथवा उसके पश्चात् इस योजना के अधीन निक्षेप राशि पर वार्षिक रूप से 6.6 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा।”

[फा. सं. 1/04/2019-एनएस]

रजत कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल योजना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 917 (अ), तारीख 12 दिसम्बर, 2019 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2020

G.S.R. 286(E).—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme to amend the National Savings (Monthly Income Account) Scheme, 2019, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the National Savings (Monthly Income Account) (Amendment) Scheme, 2020.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2020.

2. In the National Savings (Monthly Income Account) Scheme, 2019, in paragraph 5, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraphs shall be substituted, namely:-

“(1) The deposit made under this Scheme between 12th December, 2019 to 31st March, 2020 (both days inclusive) shall bear interest at the rate of 7.6 per cent. per annum.

(1A) The deposit made under this Scheme on or after the 1st day of April, 2020 shall bear interest at the rate of 6.6 per cent. per annum.”

[F. No. 1/04/2019-NS]

RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G. S. R. 917(E), dated the 12th December, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2020

सा.का.नि.287(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की खंड 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2019 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:-

1 (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम वरिष्ठ नागरिक बचत (संशोधन) योजना 2020 है।

(2) यह 1 अप्रैल, 2020 को प्रवृत्त होगी।

2 वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2019 के पैरा 5 में, उप-पैरा (1) हेतु निम्नलिखित उप-पैराओं के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“(1) तारीख 12 दिसम्बर, 2019 से 31 मार्च, 2020 (दोनों दिन शामिल करके) के बीच प्राप्त जमा पर वार्षिक रूप से 8.6 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा।

(1क) इस योजना के अधीन 01 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात प्राप्त जमा पर वार्षिक रूप से 7.4 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा।

[फा. सं. 1/04/2019-एनएस]

रजत कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल योजना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) तारीख 12 दिसम्बर, 2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 916 (अ) के द्वारा प्रकाशित हुई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2020

G.S.R. 287(E).—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme to amend the Senior Citizens' Savings Scheme, 2019, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the Senior Citizens' Savings (Amendment) Scheme, 2020.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2020.

2. In the Senior Citizens' Savings Scheme, 2019, in paragraph 5, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraphs shall be substituted, namely:-

“(1) The deposit made under this Scheme between 12th December, 2019 to 31st March, 2020 (both days inclusive) shall bear interest at the rate of 8.6 per cent per annum.

(1A) The deposit made under this Scheme on or after the 1st day of April, 2020 shall bear interest at the rate of 7.4 per cent. per annum.”

[F. No. 1/04/2019-NS]

RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G. S. R. 916(E), dated the 12th December, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2020

सा.का.नि. 288 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की खंड 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुकन्या समृद्धि खाता योजना 2019 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है अर्थात्:-

1 (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम सुकन्या समृद्धि खाता (संशोधन) योजना, 2020 है।

(2) यह 1 अप्रैल, 2020 को प्रवृत्त होगी।

2 सुकन्या समृद्धि खाता योजना 2019 के पैरा 5 में, उप-पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) तारीख 12 दिसम्बर, 2019 से 31 मार्च, 2020 के बीच (दोनों दिनों शामिल करके) खाते में की गई जमा और खाते में जमा शेष पर वार्षिक रूप से 8.4 प्रतिशत की दर से ब्याज अर्जित होगा।

(1क) खाते में तारीख 01 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात जमा राशि और खाते में जमा शेषों पर वार्षिक रूप से 7.6 प्रतिशत की दर से ब्याज अर्जित होगा।”

[फा. सं. 1/04/2019-एनएस]

रजत कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल योजना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) तारीख 12 दिसम्बर, 2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 914(अ) के द्वारा प्रकाशित हुई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2020

G.S.R. 288 (E).—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme to amend the Sukanya Samriddhi Account Scheme, 2019, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the Sukanya Samriddhi Account (Amendment) Scheme, 2020.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2020.

2. In the Sukanya Samriddhi Account Scheme, 2019, in paragraph 5, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(1) The deposits made in the account between 12th December, 2019 to 31st March, 2020 (both days inclusive) and the balances at the credit of the account shall earn interest at the rate of 8.4 per cent. per annum.

(1A) The deposits made in the account on or after the 1st day of April, 2020 and the balances at the credit of the account shall earn interest at the rate of 7.6 per cent. per annum.”

[F. No. 1/04/2019-NS]

RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Note: -The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G. S. R. 914 (E), dated the 12th December, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2020

सा.का.नि. 289(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना, 2019 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत सावधि जमा (संशोधन) योजना, 2020 है।

(2) यह 1 अप्रैल, 2020 को प्रवृत्त होगी।

2. राष्ट्रीय बचत सावधि जमा, 2019 में (इसके पश्चात इसे उक्त योजना कहा गया है) के पैरा 7 में उप-पैरा(1) में,-

(क) हिन्दी संस्करण में, पृष्ठ 159 पर, पंक्ति 7 में, “7.9” को “7.7” पढा जाए।

(ख) “निकषेपों पर लागू होगा” शब्द के पश्चात, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“12 दिसंबर, 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में किया गया (दोनों दिन शामिल करके);”

(ग) सारणी के पश्चात, निम्नलिखित उप-पैरा को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“1(क) नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट ब्याज दर इस योजना के अधीन 01 अप्रैल, 2020 को अथवा उसके पश्चात की गई जमा राशि पर लागू होगी।”

क्रम सं.	खाते का प्रकार	ब्याज दर(प्रतिशत/प्रतिवर्ष)
	(1)	(2)
1.	एक वर्ष	5.5
2.	दो वर्ष	5.5
3.	तीन वर्ष	5.5
4.	पाँच वर्ष	6.7

[फा. सं. 1/04/2019-एनएस]

रजत कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल योजना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप खण्ड(i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि 922(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2019 को प्रकाशित हुई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2020

G.S.R. 289 (E).—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme to amend the National Savings Time Deposit Scheme, 2019, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the National Savings Time Deposit (Amendment) Scheme, 2020.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2020.

2. In the National Savings Time Deposit Scheme, 2019 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 7, in sub-paragraph (1),-

- (a) In the Hindi version, at page 159, line 7, for “7.9”, read “7.7”.
- (b) after the words “shall be applicable to the deposits”, the following shall be inserted, namely:-
“made between 12th December, 2019 to 31st March, 2020 (both days inclusive)”;
- (c) after the table, the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-
“1(A) The rate of interest as specified in the table below shall be applicable to the deposits made on or after the 1st day of April, 2020 under the Scheme.”

Sl. No.	Category of account	Rate of Interest (per cent. per annum)
	(1)	(2)
1.	One-year	5.5
2.	Two-year	5.5
3.	Three-year	5.5
4.	Five-year	6.7

[F. No. 1/04/2019-NS]

RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide notification no. G.S.R. 922(E), dated the 12th December, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2020

सा.का.नि. 290(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक भविष्य निधि योजना, 2019 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम लोक भविष्य निधि (संशोधित) योजना, 2020 है।

(2) यह 1 अप्रैल, 2020 को प्रवृत्त होगी।

2. लोक भविष्य निधि, 2019 के पैरा 7 के उप-पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:

“(1) 12 दिसंबर, 2019 और 31 मार्च 2020 (दोनों दिन शामिल करके) के बीच इस खाते में जमा की गई राशि एवं खाते की जमा शेष राशि पर 7.9 प्रतिशत की दर से वार्षिक रूप में ब्याज अर्जित होगा। खाते में महीने के पाँचवे दिन के अंत में एवं महीने के अंतिम दिन के बीच में जमा निम्नतम अधिशेष राशि ब्याज की पात्र होगी।

(1क) 01 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद खाते में जमा की गई राशि एवं खाते की जमा शेष राशि पर वार्षिक रूप से 7.1 की दर से ब्याज अर्जित होगा। खाते में महीने के पाँचवे दिन के अंत में एवं महीने के अंतिम दिन के बीच में जमा निम्नतम अधिशेष राशि ब्याज की पात्र होगी।”

[फा.सं. 1/04/2019-एनएस]

रजत कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल योजना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप खण्ड(i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि 915(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित हुई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2020

G.S.R. 290(E).—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme to amend the Public Provident Fund Scheme, 2019, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the Public Provident Fund (Amendment) Scheme, 2020.
(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2020.
2. In the Public Provident Fund Scheme, 2019, in paragraph 7, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraphs shall be substituted, namely:-

“(1) The deposits made in the account between 12th December, 2019 to 31st March, 2020 (both days inclusive) and the balances at the credit of the account shall bear interest at the rate of 7.9 per cent. per annum. Lowest balance at the credit of an account between the close of the fifth day and the end of the month shall be eligible for interest.

(1A) The deposits made in the account on or after the 1st day of April, 2020 and the balances at the credit of the account shall bear interest at the rate of 7.1 per cent. per annum. Lowest balance at the credit of an account between the close of the fifth day and the end of the month shall be eligible for interest.”

[F. No. 1/04/2019-NS]

RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* notification no. G.S.R. 915(E), dated the 12th December, 2019.